संख्या–495/दस–2–2005–7(2)/2005

प्रेषक,

बी0पी0 गुप्ता
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तरांचल, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक ०(फरवरी, 2006

विषय:– वर्ष 1972–73 में जनपद टिहरी के अन्तर्गत पेटव–अखाड़ीसेण तक निर्मित वन मोटर मार्ग से प्रभावित भूमि का प्रतिकर भुगतान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–72/प्रतिकर, दिनांक 25 जुलाई, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2005–06 में वन विभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या–27 के लेखा शीर्षक–4406–वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय 01–वानिकी 101–वन संरक्षण और विकास 03–"वन मोटर मार्गों का सुदृढ़ीकरण" योजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 10.00 करोड़ में से रू0 3,16,500/– (रूपये तीन लाख सोलह हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि पेटव–अखाड़ीसेण तक निर्मित वन मोटर मार्ग से प्रभावित भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. प्रश्नगत धनराशि रू0 3,16,500/– का व्यय पेटव–अखाड़ीसेण तक निर्मित वन मोटर मार्ग से प्रभावित भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय.
2. स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत भूमि का प्रतिकर भुगतान पूर्व में न किया गया हो.
3. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
4. स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष आवंटन अपने स्तर से किया जाय.
5. धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता ही किया जाय.
6. स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
7. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

2. ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–392/वि.अनु.–4/2006, दिनांक 04 फरवरी, 2006 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

(बी0पी0 गुप्ता)
अपर सचिव